

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून।

ईमेल—cfoddn.ukfs@gmail.com

पत्रांक: न-9/सीएफओ(शै0भ0मा0)-D-PQ-35-2025
सेवा में,

दिनांक: जनवरी 24, 2025

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA,
INDIAN MILITARY ACADEMY
PREMNAGAR, DEHRADUN
जनपद-देहरादून।

विषय

शैक्षणिक भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्ण संचालन प्रमाण पत्र (Pre-Operational) के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थना पत्र यूआईडी नं०-51892626 दिनांक 24.01.2025 के अन्तर्गत PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA, INDIAN MILITARY ACADEMY, PREMNAGAR, जनपद देहरादून की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी देहरादून की निरीक्षण आख्या दिनांक 24.01.2025 के अनुसार स्थापित अग्निशमन यंत्र कार्यशील दशा में है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेगे। शैक्षणिक भवन के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को ऑन लाईन/ऑफ लाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA, INDIAN MILITARY ACADEMY, PREMNAGAR, जनपद देहरादून को अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 24 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2028 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:-

1. प्रश्नगत भवन का मानचित्र (भूतल) में स्वीकृति/निर्मित है। यदि भवन का उपयोग अन्य प्रयोजन (हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/गेस्ट हाउस/होटल आदि) हेतु किया जाता है तो अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रभावी नहीं रहेगा और स्वतः ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाएगा।
2. प्रश्नगत भवन में फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के दृष्टिगत फायर पम्प हाउस की इलैक्ट्रिक सप्लाय के लिए सेपरेट फिडर का प्रयोग करना अनिवार्य है, यदि अग्निकाण्ड की घटना घटित होने पर पम्प हाउस की इलैक्ट्रिक की सप्लाय नहीं मिलती है तो सम्पूर्ण दायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा।
3. प्रश्नगत भवन के सैट बैक में स्थाई व अस्थायी निर्माण कर अग्निशमन एवं रेस्क्यू कार्य बाधित किये जाने एवं सेफ्टी मानकों में परिवर्तन किये जाने पर प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
4. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
5. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैट बैक तथा सीढ़ियाँ सदैव अवरोध मुक्त रखी जाए। इमरजेन्सी साईन एक्जिट, पावर बैक अप साथ रहेगी।
6. प्रश्नगत भवन में कार्यरत सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों के संचालन तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है। समय-समय पर स्थापित अग्निशमन उपकरणों/यंत्रों का निरीक्षण/परीक्षण करते हुए सदैव कार्यशील रखेगे, तथा समय-समय पर मॉक ड्रिल करते रहेगे।
7. सभी अग्निशमन यंत्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/प्रबन्धक की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यंत्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः स्वामी/प्रबन्धक को अग्नि रोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
8. प्रश्नगत भवन में विद्युत यंत्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
9. प्रश्नगत भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानकों के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
10. आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सुझाव के अनुरूप व्यवस्था नहीं पायी जाती है, यदि किसी प्रकार की लापरवाही/तकनीकी खराबी के कारण अग्नि दुर्घटना के समय अग्निशमन उपकरण कार्य नहीं करते हैं तो पूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा तथा प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
11. शैक्षणिक भवन में संचालित लैब (कैमेस्ट्री, कम्प्यूटर आदि) में सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।
12. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह स्वामी/प्रबन्धक की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्नि दुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जाएगी।

(वि. प्र. यादव)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून

क0स0	यू0आई0डी0 नम्बर	51892626
1	पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले अधिकारी का नाम	—
2	पूर्व ईकाई/संस्थान/भवन का नाम व पता	PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA ,INDIAN MILITARY ACADEMY DEHRADUN PREMNAGAR DEHRADUN 248007
3	ईकाई/संस्थान/भवन का स्थापना वर्ष	1994
4	अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार	Pre-Operational
5	आवेदन की तिथि	16/01/2025
6	निरीक्षण की तिथि	23/01/2025
7	निरीक्षण आख्यो भेजने की तिथि	24/01/2025
8	स्वामी/प्रबन्धक का नाम	MAM CHAND NAND LAL
9	स्वामी/प्रबन्धक का ईमेल आई डी	kvimaddn@gmail.com
10	स्वामी/प्रबन्धक का मोबाईल नम्बर	8449964865
11	प्लॉट एरिया वर्ग मीटर	5880 Square Meter
12	कवर्ड एरिया वर्ग मीटर में	00 Square Meter 1910
13	भवन की श्रेणी	SCHOOL
14	भवन का सैट बैक	अग्र 20 मीटर पृष्ठ 10 मीटर साईड(1) 10 मीटर साईड (2) 10 मीटर
15	ब्लॉको की संख्या	1
16	ईकाई /संस्थान/भवन की ऊंचाई मीटर में	3 Meter
17	ईकाई /संस्थान/भवन में तलों की संख्या	भवन भूतल तल में निर्मित है।
18	प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया	00 Square Meter 1910
19	प्रत्येक तल पर कक्षों की संख्या	01 प्रतितल
20	बेसमेन्ट कवर्ड एरिया एवं बेसमेन्ट में स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम व फायर इन्डक्शन सिस्टम	-
21	ईकाई /संस्थान/भवन तक पहुंच मार्ग की स्थिति	हो
22	मुख्य मार्ग की चौड़ाई मीटर में	15 मीटर
23	प्रवेश द्वार की चौड़ाई मीटर में	6 मीटर
24	आन्तरिक मार्ग की चौड़ाई मीटर में	6 मीटर
25	मुख्य मार्ग से भवन तक की दूरी मीटर	25 मीटर
26	निकास हेतु जीनो की संख्या	03
27	जीनो की चौड़ाई मीटर	1.50 मीटर

28	कारीडोर की चौड़ाई मीटर में	—
29	दरवाजों की संख्या	10
30	दरवाजों की चौड़ाई मीटर में	1 मीटर
31	रैम्प की चौड़ाई मीटर में	.
32	फायर एक्सटिंग्यूशर की संख्या व प्रकार	24 एं0बी0सी0/02 सी0ओ0टू0
33	हौजरील की कुल स0(प्रत्येक तल पर)	कुल-06
34	डाउनकमर	—
35	राईजिंग मैन	हाँ
36	यार्ड हाईड्रेन्ट	
37	संवेदनशील भण्डारण स्थलों पर स्प्रिंकलर्स सिस्टम,	.
38	मैनुवली आपरेटेड फायर अलार्म	मैनुवल
39	ऑटोमैटिक ऑपरेटेड फायर अलार्म	.
40	भूमिगत पानी टैंक की क्षमता लीटर में	10000 लीटर
41	टैरिस टैंक की क्षमता	10000 लीटर
42	मेन फायर पम्प का प्रवाह	900 एल0पी0एम0
43	डीजल पम्प की क्षमता व प्रवाह	.
44	जॉकी पम्प की क्षमता व प्रवाह	.
45	टैरिस फायर पम्प की क्षमता व प्रवाह	.
46	पम्प स्वचालित है या मैनुवल	ऑटोमैटिक
47	वाटर टैंक भरने हेतु स्थापित पम्प की कैटेगरी/पम्प की क्षमता व प्रवाह	समरसेबुल
48	बोरिंग की परिधि	—
49	वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था	हाँ
50	ईकाई में उत्पादन	—
51	हैजार्ड की श्रेणी	-
52	यदि संस्थान में ज्वलनशील/खतरनाक रसायनों का भण्डारण किया जाता है तो विवरण व सुरक्षा प्राविधान	—
53	भवन का मानचित्र कम्पाउण्डिंग/ओटीएस में स्वीकृत है या नहीं	कम्पाउण्डिंग

महोदय— वर्तमान समय में संस्थान में स्थापित अग्निशमन उपकरण कार्यशील दशा में है अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निरीक्षण औख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित हैं।


 24/01/25
 अग्निशमन अधिकारी
 देवाहास